न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -103/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

गुहिराम महतो बनाम तोरी देवी

07.01.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	गुहिराम महतो पिता–स्व० मुचिराम महतो, ग्राम–कोटंगदाग, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी (महतो) पेशा–नौकरी सेवानिवृत।
क्रेता का नाम एवं पता –	तोरी देवी पति–श्री सीता राम महतो, ग्राम–डोमनडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री अनुप कुमार जयसवाल।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–21/09/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता तोरी देवी पति–श्री सीता राम महतो, ग्राम–डोमनडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
खंटगा	सोनाहातु/84	12	162	1.32 ए० मध्ये 08½ डी० चौहद्दीः– उ०–मदन महतो। द०–घासनी कुमारी वगै०। पू०–गुहिराम महतो वो विक्रेता नीज। प०–रास्ता।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–389(ii) दिनांक–17/12/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत चतुर महतो पिता–मानो महतो के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत/पंजी–II रैयत विक्रेता के दादा है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम चतुर महतो है। तथा रैयत के पास रकबा–2.99 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2022–23 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा–पोता का है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–2.90½ एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी एवं आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता गुहिराम महतो पिता–स्व० मुचिराम महतो, ग्राम–कोटंगदाग, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी (महतो) पेशा–नौकरी सेवानिवृत, को क्रेता तोरी देवी पति–श्री सीता राम महतो, ग्राम–डोमनडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–19/10/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता गुहिराम महतो पिता–स्व० मुचिराम महतो, ग्राम–कोंटंगदाग, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी (महतो) पेशा–नौकरी सेवानिवृत, को क्रेता तोरी देवी पति–श्री सीता राम महतो, ग्राम–डोमनडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
खंटगा	सोनाहातु/84	12	162	1.32 ए० मध्ये 08½ डी० चौहद्दीः– उ०–मदन महतो। द०–घासनी कुमारी वगै०। पू०–गुहिराम महतो वो विक्रेता नीज। प०–रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.01.20 12:43:22 +05:30
Location: 10.93.79.18